

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2011—फाल्गुन 24, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2011

क्र. 7537-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 15 मार्च, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०११

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०११

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ७-क का
अंतःस्थापन.

२. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ४ सन् २००९) की धारा ७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

नये महाविद्यालय
स्थापित करने और
उन्हें सम्बद्ध करने
के लिए अनुज्ञा का
अपेक्षित होना.

“७-क (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण देने के लिए कोई महाविद्यालय स्थापित करने की वांछा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा महाविद्यालय स्थापित करने और प्रशासित करने अथवा चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार अथवा ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, विस्तृत जानकारी देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(२) आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुज्ञा प्रदान करेगा.

(३) अनुज्ञा अभिप्राप्त कर लेने के पश्चात्, प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएगा और ऐसे महाविद्यालय को अधिनियम के उपबंधों के अधीन, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में राज्य के कृषि विश्वविद्यालय अधिनियमों में निजी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के लिए कोई उपबंध नहीं है. अतएव, यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के लिए उपबंध किया जाए जिससे कि राज्य में छात्रों की बड़ी संख्या के लिए कृषि क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की क्षमता में राज्य द्वारा वृद्धि की जा सके. कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान से विशेषतः ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी. इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ४ सन् २००९) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ५ मार्च, २०११.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ (१) एवं (२) द्वारा राज्य सरकार को नए महाविद्यालय स्थापित एवं प्रशासित करने तथा उसकी संबद्धता की अनुज्ञा प्रदान करने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2011—फाल्गुन 25 शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2011

क्र. 1749-98-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 6 OF 2011.

THE RAJMATA VIJAYA RAJE SCINDIA KRISHI VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2011.**A Bill further to amend the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya
Adhiniyam, 2009.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

**Insertion of
Section 7-A.**

2. After Section 7 of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009), the following section shall be inserted, namely:—

**New colleges to
require
permission For
establishment
and affiliation.**

“7-A. (1) Every person desired of establishing any college for instructions, teaching and training in Agriculture and allied Sciences within the jurisdiction of the University shall make an application containing detail information to the State Government or such authority as the State Government may, by order, specify, for grant of permission to establish and administer or run such college.

(2) On receipt of application, the State Government or the authority specified by it, shall, after making such enquiry as it may deem fit, grant permission subject to such terms and conditions, if any, as it may deem fit to impose.

(3) Every college established after obtaining permission shall be affiliated to the University and such college shall be admitted to the privileges of the University under the provisions of the Act.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present there is no provision in the Agriculture Universities Acts of the State for establishing the Agriculture Colleges in the private sector. Therefore, it is necessary to make the provision for establishing the Agriculture Colleges in the private sector so that the State can enhance the capacity of teaching, training and research in Agriculture Sector for large number of students in the State. The teaching, training and research in Agriculture and allied sector will enhance the opportunities for self employment specially for rural youth. In order to achieve this object suitable amendment is proposed in the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009).

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 5th March, 2011.

DR. RAMKRISHNA KUSMARIYA.
Member-in-charge.